न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री बाबूलाल गोयल।

अपील संख्या 23/2021 जिला–सीकर।

1. बनवारी पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. बंशीधर पुत्र चौथू
   सभस्त जाति जाट निवासी ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3. रघुवीर पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलान्टस्

बनाम

1. भागोती देवी पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 23, शाहपुरा रोड, अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पोडेण्ट

2. भूमिधारी तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 29.06.2021 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 25/20216

उपस्थित–

1. वकील अपीलांट श्री श्यामबाबू पारिक।
2. वकील रेस्पोडेंट श्री मोहनलाल जाट।

निर्णय

दिनांक 13.09.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 29.06.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ दिनांक 08.07.2021 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 2106 रकबा 0.35 है0 तन ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर की सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2021 के मुताबिक पत्थरगढी कराई जाने की आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2021 पारित कर प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 2106 तन ग्राम अजीतगढ की पत्थरगढी मुताबिक सीमाज्ञान कराये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिये गये ।
4. न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
6. अपीलान्टस् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील भीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2106 तन ग्राम अजीतढ क पत्थरगढी हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

दिया गया जबकि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 पडोसी खातदेार काश्तकार है। रेस्पोडेंटस् संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी में अपीलांटस को पक्षकार भी नही बनाया गया ना ही किसी प्रकार का नोटिस जारी किया गया। केवल मात्र सरकार को पक्षकार बनाते हुये अपीलाधीन आदेश प्राप्त किये। जबकि प्रकरण में अपीलांट्स प्रभावित एवं हितबद्ध खातेदार काश्तकार होने के कारण अपीलांटस् को आवश्यक पक्षकार के रूप में शामिल करते हुये उन्हे पूर्ण साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये निर्णय पारित करना चाहिये था। अधिनस्थ न्यायालय ने विना विधिक प्रकिया अपनाये ही आनन–फानन में मात्र 3 पेशियो पर ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में पडौसी काविज खातेदारान को जानबुझकर पक्षकार संयोजित नही किया गया। जबकि काननून सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवही एवं आदेश पडौसी खातेदारान व काविज काश्तकारो की अनुपस्थिति में सम्पादित नही किया जा सकता हैं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2021 को किये गये सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी करने का प्रार्थना पत्र स्वीकर करने प्रकट किया गया है जबकि उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट मौके पर कतई नही बनाई गई और ना ही कोई राजस्व कर्मचारी मौके पर देखा गया तथा ना ही पडौसी खातेदारान अपीलांटस की उपस्थित में सीमाज्ञान किया गया। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 29.06.2021 निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट् का कथन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बहस के दौरान अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 2106 रकबा 0.35 है0 तन ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर की सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2021 के मुताबिक पत्थरगढी कराई जाने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2021 पारित कर प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 2106 तन ग्राम अजीतगढ की पत्थरगढी मुताबिक सीमाज्ञान कराये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिये गये है। रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2021 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

8. मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सी.पी.सी के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्टस् के प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट् विवादित आराजी से प्रभावित पक्षकार हैं जिन्हें अपने हितों के लिये अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। अपीलान्ट् को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जिससे अपीलान्ट् को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान, समय पर नहीं होना स्वभाविक है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट् के प्रार्थना धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के पत्थरगढी कराने के संबंध मे विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2106

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की पत्थरगढी कराने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2106 तन ग्राम अजीतगढ की पत्थरगढी मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2021 के अनुसार कराये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिये गये है।

9. हम समझते है कि अपीलांटस् अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2021 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस् को बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एकतरफा तथा अपीलांटस् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है तथा बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधापुर जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

11. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

13/9/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

12. निर्णय आज दिनांक 13.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/9/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner